

## सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8418	828	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1541	2	--	-
3	असम	4572	55	--	-
4	बिहार	7091	0	--	-
5	छत्तीसगढ़	4501	0	1	4750
6	गोवा	605	304	--	-
7	गुजरात	7756	491	--	-
8	हरियाणा	1411	1229	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	183	0	--	-
12	कर्नाटक	4282	0	--	26500
13	केरल	2181	0	--	-
14	मध्य प्रदेश	0	932	--	-
15	महाराष्ट्र	41789	432	--	25000
16	मणिपुर	384	102	--	-
17	मेघालय	673	36	9	-
18	मिज़ोरम	504	40	--	-
19	नगालैंड	1661	34	--	-
20	उड़ीसा	12717	1479	86	18545
21	पुदुचेरी	298	0	--	806
22	पंजाब	938	0	8	-
23	राजस्थान	0	0	129	2000
24	तमिलनाडु	6737	0	40	14678
25	तेलंगाना	5755	1251	--	-
26	त्रिपुरा	379	9	--	-
27	उत्तराखंड	3216	81	--	-
28	उत्तरप्रदेश	664	0	180	-
29	पश्चिम बंगाल	8946	539	214	-
	<b>कुल</b>	<b>127201</b>	<b>7844</b>	<b>666</b>	<b>92279</b>

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं